तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन
राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या–1

प्रेस विज्ञप्ति

तत्काल निर्गत

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का बिहार राज्य के वर्ष 2018–19 के लिए राजस्व प्रक्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत तैयार किये गये 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र)–बिहार सरकार दिनांक 29.07.2021 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ और **''मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण''** पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। प्रतिवेदन का कुल वित्तीय प्रभाव ₹2,389.53 करोड़ है।

राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को बकाया राजस्व ₹4107.32 करोड़ था जिसमें से ₹521.07 करोड़ पाँच वर्षो से अधिक समय से लंबित था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः सामान्य

- वर्ष 2018–19 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹1,31,793.45 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹33,538.70 करोड़ (25.45 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹98,254.75 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 74.55 प्रतिशत) था जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹73,603.13 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 55.85 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹24,651.62 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 18.70 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

- लेखापरीक्षा ने 629 मामलों में कुल ₹3,658.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 1,648 मामलों में ₹1,336.65 करोड़ स्वीकार किया जिसमें से ₹366.27 करोड़ के 55 मामले 2018–19 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने 196 मामलों में ₹8.90 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2018 एवं अप्रैल 2020 के मध्य) किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः वाणिज्य–कर विभाग

- कर निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन व्यवसायियों के मामले में ₹5.64 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जिससे आरोप्य ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹2.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

- कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹1.60 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कर के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाने के परिणामस्वरूप ₹2.88 करोड़ के कर की कम वसूली एवं ₹4.38 करोड़ के ब्याज का आरोपन नहीं हुआ।

- कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹1.91 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- चार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी ₹91.03 करोड़ के स्थापना प्रभार की राशि राज्य सरकार के समेकित निधि में प्रेषण करने में विफल रहे जबकि निधि उनके पास उपलब्ध थी।

- चार जिला भू अर्जन पदाधिकारी अधिसूचना की तारीख से पंचाट की तिथि या भूमि पर कब्जा की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिये अतिरिक्त मुआवजा की गणना करने में विफल रहे या त्रुटिपूर्ण गणना किया। इन अनियमितताओं के परिणामस्वरुप ₹24.56 करोड. की अतिरिक्त मुआवजा की त्रुटिपूर्ण गणना हुई।

- जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ₹2.24 करोड़ के निधि की उपलब्धता के बावजूद भी भू स्वामियों को भुगतान करने में विफल रहे।

- मुआवजा भुगतान के अनुमान को अंतिम रुप देते समय जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पुराने दर को लागू किये जाने के कारण विस्थापित परिवारों को ₹1.23 करोड़ कम मुआवजा का भुगतान हुआ।

- दो जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों ने यथोचित प्रक्रिया का पालन न कर, बिना प्रासंगिक दस्तावेजों की पुष्टि किये अयोग्य व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान

किया और इस प्रकार निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया, परिणामस्वरुप ₹1.18 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः परिवहन विभाग

- परिवहन विभाग के वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर के डाटा विश्लेषण सहित मोटर वाहन कर एवं शुल्क के संग्रहण एवं आरोपण पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्न पाया गया :

- अनियिमित अधिसूचना के कारण एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण हुआ।

- विभिन्न शुल्क पर अधिभार लगाने की अनियमित अधिसूचना के कारण चालक अनुज्ञप्ति और प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति धारकों पर ₹18.52 करोड़ का अनुचित बोझ पड़ा।

- निजी वाहन मालिकों से कर के भुगतान में देरी के लिए अर्थदण्ड के प्रावधान के गलत परिमापन के कारण विभाग ने ₹2.83 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल किया।

- वाहन डाटाबेस में जानकारी की उपलब्धता के बावजूद, जिला परिवहन कार्यालय ने न तो उन वाहनों के निबंधन/परमिट रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू की जिनकी फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई थी और न हीं दोषी वाहन मालिकों को कोई नोटिस जारी किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹187. 01 करोड़ के राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ।

- संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने निबंधन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर और अनुमोदन के समय ₹1.19 करोड़ के देय कर की वसूली सुनिश्चित नहीं किया।

- ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के निबंधन के लिए दिशानिर्देशों/सहायक दस्तावेजों के नहीं होने के कारण सात जिला परिवहन पदाधिकारियों ने 8,969 ट्रैक्टर ट्रेलर संयोजन को मनमाने तरीके से कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किया जिससे ₹25.22 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

- जिला परिवहन कार्यालयों के *वाहन* डेटाबेस में चूककर्त्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद, उन्होंने *वाहन* प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कर चूककर्त्ता सूची बनाने के लिए *वाहन* के कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा कर चूककर्त्ताओं को कोई मांग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹15.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 22.79 करोड़ का कर (सड़क कर ₹7.56 करोड़ और सड़क सुरक्षा उपकर ₹9.58 लाख) अप्राप्त रहा।

- जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा न तो वाहन सॉफ्टवेयर से और न ही मैनुअली कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड का आरोपण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.54 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

- राष्ट्रीय परमिट पंजी को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा न ही अद्यतन किया गया था न ही भौतिक सत्यापन किया गया था। परिणामस्वरूप, संयुक्त शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹6.29 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई।

- ₹1000 के प्रसंस्करण शुल्क के वसूली के बिना 29,625 मालगाड़ी, 1,165 बस और 5,571 अनुबंधित मालवाहक वाहनों को परमिट जारी किए गए, जिससे ₹3.64 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

- नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार अप्रभावी अनुसरण के कारण ₹7.01 करोड़ के राजस्व के बकाये की वसूली नहीं की जा सकी।

- आठ करोड़ रूपया खर्च करने के बावजूद तीन धर्मकाँटा को परिवहन विभाग को दिसम्बर 2015/जनवरी 2016 में सुपूर्द करने के बाद भी उसे 2019 तक कार्यशील नहीं किया जा सका। इसके अलावा, सरकार ने वैसे अधिकारियों, जिनकी पदस्थापना मूल रूप से धर्मकाँटा स्थल के लिए हुई थी किन्तु उनकी तैनाती राज्य परिवहन निगम/जिला परिवहन कार्यालय, पटना कार्यालय में की गयी थी, के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के रूप में ₹75.98 लाख का व्यय भी किया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः मुद्रांक एवं निबंधन फीस

- निबंधन विभाग ने बिहार निबंधन नियमावली, 2008 में सेवा प्रभार के संग्रहण से संबंधित अवैध प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल हितधारकों पर वित्तीय बोझ डालकर 2018–19 के दौरान ₹31.73 करोड़ के सेवा प्रभार का संग्रहण किया गया अपितु इनको राज्य के समेकित निधि के बदले बैंक खाता में जमा किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षः खनिज प्राप्तियाँ

- खनन पदाधिकारी 'एम' एवं 'एन' फार्म के बिना प्रस्तुत कार्य संवेदको के विपत्रों का भूगतान नहीं होना सुनिश्चित करने में विफल रहे एवं वे कार्य संवेदकों के अनाधिकृत श्रोतों से खरीदे गए खनीज के लिए ₹46.42 करोड़ अर्थदण्ड के आरोपण में भी विफल रहे।

- ईट मौसम 2017–18 और 2018–19 के दौरान, 260 ईंट भट्ठों का परिचालन बिना वैध परमिट के किया गया परिणामस्वरूप रॉयल्टी एवं अर्थदण्ड सहित ₹3.85 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

इन विषयों पर आगे के किसी सूचना के लिए कृपया निम्न पता पर हमें सम्पर्क करेः–

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार का कार्यालय के प्रवक्ता	श्री आदर्ष अग्रवाल उप महालेखाकार (प्रषासन) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
टेलीफोन नम्बर	0612–2221941 (का.),
फैक्स नम्बर	0612–2506223
मेल आईडी	agarwala2@cag.gov.in
हमारा वेबसाईट	www.ag.bih.nic.in
मीडिया अधिकारी	श्री कुन्दन कुमार वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना
मोबाईल नम्बर	6299746237